

1521328

राजस्थान सरकार
वित्त (राजस्व) विभाग

क्रमांक प.1(243)वित्त राजस्व विविध 13

जयपुर, दिनांक:-

निदेशक,
पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राज.-जयपुर।

विषय:- सेवानिवृत्ति आदेशों में जारी संतुल्यजनक सेवा प्रमाण-पत्र No DE/PE/FIR प्रमाण पत्र के संबंध में।

संदर्भ:- वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के संशोधित प्रारूप के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्त (नियम) विभाग से यह मार्गदर्शन चाहा गया था कि क्या संदर्भित परिपत्र जारी होने से पूर्व की दिनांक में जारी No DE/PE/FIR प्रमाण पत्रों को नवीन सिरे से उक्त परिपत्र के संशोधित प्रारूप-6 के अनुसार जारी किया जाना आवश्यक है अथवा नहीं ? इस संबंध में वित्त (नियम) विभाग से प्राप्त अशादीप प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 22.07.2015 द्वारा यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि उक्त प्रारंगिक परिपत्र जारी होने की दिनांक से ही प्रभावी माना जावेगा। अतः जो प्रमाण-पत्र 23.03.2015 तक जारी हो गये हैं। उन पर उक्त परिपत्र दिनांक 24.03.15 प्रभावी नहीं माना जावेगा।

अतः आपसे निवेदन है कि अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित कराने का श्रम करें कि इस प्रकार के आक्षेप सृजन योग्य नहीं है।

भवदीय,

(सिजाज नबी खान)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग को दी जाकर निवेदन है कि कृपया उक्त परिपत्र के संबंध में स्पष्टीकरण आपके विभाग के स्तर से जारी कराने का श्रम करावें।
2. कोषाधिकारी, दौसा को उनके पत्रांक 1172 दिनांक 09.07.15 के कम में।
3. श्री श्रवण लाल वर्मा, सहायक निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।

सहायक शासन सचिव

20344

निदेशक, पेशा एवं पेशांगरी वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर

अतिरिक्त

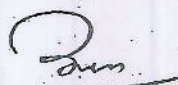
कमि.प. 5(283)निदेश/विभाग/2014 2137-2300.H दिनांक: 13-08-2015

विन(राजस्व) विभाग से उक्त मासिक की पृष्ठांकित प्रति
निर्भांकित की पाठमार्फ एवं आवश्यक कर्माधी हेतु उचित है। -

1. विभागाध्यक्ष (समस्त) कोष एवं लेखा

2. सचिव / उप निदेशक, पेशा विभाग, ज्ये. का. (समस्त)

3. सहा. / उप निदेशक, पी. भार. भुभाग, (समस्त) कार्यालय राजा।



सहायक निदेशक
पेशा एवं पेशांगरी वेलफेयर विभाग
राजस्थान, जयपुर

मूल की कम्प्यूटर द्वारा की वेबसाइट पर
आपलोड करने हेतु उचित है



3/9/15
(Asst. Director (C))